तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	[illegible] बनाम [illegible] ग्राम पत्थरगढ़ी [illegible] 16/2025	
19.5.25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 21.5.25 को पेश हो।	
21.05.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में वकील अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 9 ने प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी का जवाब पेश नहीं कर सीधे ही प्रार्थी द्वारा चाहे गये पत्थरगढ़ी बाबत कोई आपत्ति नहीं होना पत्रावली की आदेशिका पर अंकित कर अपने हस्ताक्षर करते हुए सहमति दी है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये पत्थरगढ़ी के सम्बन्ध में वकील अप्रार्थीगण ने पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु अपनी लिखित सहमति दिये जाने से वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी पर आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया। जिस पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 26.05.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	अप्रार्थीगण 2 लगा 9 पत्थरगढ़ी बाबत [illegible] पत्थरगढ़ी [illegible] नहीं है [illegible] 21.5.25
26.05.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी मे बहस वकुलाय उभय पक्षकारान पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार की जाती है। [illegible]सार पालना किये जाने हेतु तहसीलदार [illegible] जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमी[illegible] दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Anil Kumar Date: 2025.08.27 12:56:30 IST Reason: SelfAttested (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	1851/[illegible] 30-05-2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
16 / 2025	2025 / 115	01.04.2025	26.05.2025

उनवान प्रकरण

रामचन्द्र पुत्र मालीराम आयु 45 वर्ष जाति जाट निवासी ढ़ाणी सूतलियावाली तन् ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0।

––प्रार्थी

बनाम्

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर, जिला – नीमकाथाना हाल जिला सीकर, राज0।
2. शर्मिला देवी पुत्री मालीराम
3. अनिता देवी पुत्री मालीराम
4. पिंकी देवी पुत्री मालीराम
5. संजू देवी पुत्री मालीराम
6. कविता देवी पुत्री मालीराम
7. सविता देवी पुत्री मालीराम
8. बनारसी देवी पुत्री मालीराम
9. महिपाल पुत्र मालीराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी सूतलियावाली तन् ग्राम मउ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

––अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

श्री सरदार सिंह कुड़ी प्रथम एड0 – प्रार्थी की ओर से

श्री सॉवर मल महला, एड0 – अप्रार्थीगण सं. 2 ता 9 की ओर से।

पैरोकार सरकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर – अप्रार्थी नं. 1 की ओर से

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:56:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत राजस्व ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में अवस्थित खातेदारी आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 1828 रकबा 0.90 हैक्टर भूमि प्रार्थी व प्रार्थी के परिजन की पैतृक भूमि है। उक्त कृषि भूमि का विधिवत तरीके से सीमाज्ञान दिनांक 23.05.2024 को अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेशों की पालना में दिनांक 23.05.2024 को किया गया है। सीमाज्ञान रिपोर्ट संलग्न है। जिसकी पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने उक्त वर्णित भूमियों की सीमाओं पर पत्थरगढ़ी करवाकर पुख्ता तारबन्दी/ डण्डा का निर्माण करना चाहता है ताकि प्रार्थी की उक्त भूमि में उत्पादित फसलों की आवारा पशुओं से सुरक्षा की जा सकें। इसलिए मौके पर अपनी उक्त भूमियों की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। जिसके बाबत अप्रार्थी को निवेदन किये जाने पर अप्रार्थी द्वारा न्यायालय से पत्थरगढ़ी का आदेश लाने को कहकर पत्थरगढ़ी नहीं की गई है। उक्त वर्णित भूमियों की सीमा पर पत्थरगढ़ी नहीं होने से प्रार्थी अपनी भूमि में पुख्ता तारबन्दी/ डण्डा का निर्माण नहीं कर सकता है तथा जिसकी वजह से प्रार्थी की भूमि में जोती जाने वाली फसलों को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट कर दी जाती है। इसलिए उक्त पत्थरगढी के अभाव में प्रार्थी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिसकी पूर्ति किसी कदर नहीं हो सकती है। इसलिए प्रार्थी की खातेदारी एंव कब्जा काश्त की भूमि की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार करवाया जाना आवश्यक एंव न्यायोचित है। जिसकी पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 23.05.2024 के अनुसार किये जाने का निवेदन प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:56:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी (तहसीलदार) द्वारा हाजिर अदालत नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश कर आराजी भूमि के सहखातेदारान् को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार अप्रार्थीगण संयोजित किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया जाकर पक्षकारान् को अप्रार्थीगण सं. 2 से 9 संयोजित किया जाकर इनको जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 9 की ओर से श्री सावॅर मल महला एड0 उपस्थित आयें एंव प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना पत्रावली की आदेशिका पर अंकित किया। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट ली जाने जाने पर जॉच रिपोर्ट जरिये पत्रांक 1435/भू.अ./2025 दिनांक 14.05.2025 के द्वारा प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया है कि वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 1828 रकबा 0.90 हैक्टर की खातेदारी रामचन्द्र पुत्र गालीराम जाति जाट निवासी मउ का सीमाज्ञान दिनांक 23.05.2024 को किया गया था। उक्त भूमि के पड़ौसी खातेदारान् के खसरा नम्बर 1829 के खातेदार राजेन्द्र सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति राजपूत सा. देह, खसरा नम्बर 1834/2 के खातेदार अशोक कुमार, राहुल पुत्र रामलाल जाति माली सा0 देह, खसरा नम्बर 1827/1 के खातेदार बजरंग सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति राजपूत, खसरा नम्बर 1827/2 के खातेदार दशरथ सिंह पुत्र बन्नेसिंह जाति राजपूत सा0 देह दर्ज रिकार्ड है। पड़ौसी खातेदारों से विवाद की स्थिति नहीं है एंव सीमाज्ञान के दौरान कृषि भूमि कम या ज्यादा नहीं हो रही है बाबत अपनी टिप्पणी में स्पष्ट अंकित किया है। वकील अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 9 के द्वारा अनापत्ति अंकित कर दिये जाने एंव प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से रिपोर्ट प्राप्त हो जाने [illegible] बहस सुनी जाने का निवेदन किये जाने पर आज ही बहस [illegible] किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर प्रकरण [illegible] एक पक्षीय सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:56:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

दौरान बहस वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी मे वर्णित तथ्यों को बार-बार दोहराते हुए कथन किया कि पत्थरगढ़ी करवाये जाने वाले खसरा नम्बरान् की खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसमें अप्रार्थीगण संख्या 2 से 9 ने पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु अपनी अनापत्ति जारी की जा चुकी है। वादग्रस्त आराजी के मौके पर कोई विवाद या स्थगन इत्यादि नहीं है। अप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमियों के सहकाश्तकार दर्ज रिकार्ड है। जिसकी पत्थरगढ़ी करवाये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी के द्वारा किया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहे गये पत्थरगढ़ी के सम्बन्ध में वकील अप्रार्थीगण ने पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमने वकील वादी की एकपक्षीय बहस ध्यानपूर्वक सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 1828 रकबा 0.90 हैक्टर की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 9 के नाम रिकार्डेड होना प्रकट होता है। जिसका सीमाज्ञान प्रार्थी के द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश से सम्बन्धित पटवारी हल्का महरोली के द्वारा दिनांक 23.05.2024 के द्वारा किया जाना प्रकट होता है। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमियों का सीमाज्ञान दिनांक 23.05.2024 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश क्रमांक 85/एल आर/2024 दिनांक 22.05.2024 की अनुपालना में विधिवत तरीके से पटवारी हल्का महरोली द्वारा किया जाना स्पष्टतः प्रकट होता है। जिसके आधार पर वकील अप्रार्थीगण के द्वारा पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी में दर्ज भूमियों का सीमाज्ञान करवा लिये जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर [illegible] से करवाये गये सीमाज्ञान के रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर [illegible] प्रतीत होता है।
अनुसार प्रकरण में पत्थरगढ़ी कर[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:56:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का महरोली द्वारा दिनांक 23.05.2024 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 1828 रकबा 0.90 हैक्टर अचरथित तन् ग्राम महरोली की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/– रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/–रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का महरोली द्वारा दिनांक 23.05.2024 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींद डोल को बिना हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:56:30 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)